कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–5/स्थानांतरण भूगोल व अन्य विषय/2022 दिनांक–20.12.2022 के तहत् नरेंन्द्र कुमार जोशी, प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा), भूगोल का स्थानान्तरण राउमावि हरसौली (215058) कोटकासिम, अलवर से राउमावि, अलीगढ़ (217529) बाड़ी, धौलपुर किया गया।

उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्व नरेंन्द्र कुमार जोशी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 6505/2022 नरेंन्द्र कुमार जोशी, बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

उक्त याचिका में माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक 04.01..2023 में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर उसे विधि एवं नियमानुसार सकारण आदेश(Speaking order)निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये है।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अभिकथनानुसार प्रार्थी का एक बेटा भारतीय सेना में है व दुसरा बेटा आई. आई. एस. ई. आर. तिरूपति आंध्र प्रदेश में अध्यनरत है। प्रार्थी कि पत्नि राजकीय महात्मा गांधी स्कूल हरसौली में कार्यरत है। अपीलार्थी ने उक्त पारिवारिक परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण क्षेत्र के किसी नजदीकी विद्यालय के रिक्त पद पर करने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलार्थी के अभ्यावेदन विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया।राज्य सरकार के पत्र क्रमांकप.17(30) शिक्षा–2/2021जयपुर दिनांक–14.07.2022 में प्रदत्त दिशा–निर्देश जोकि पूर्व के सभी दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किये गये है, के अनुसार विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गंभीर बीमारी(कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण)से पीडित कार्मिकों को ही स्थानांतरण में शिथिलता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त है।

उक्त दिशा–निर्देशानुसार में पति–पत्नि दोनो राजकीय सेवा में, को एक ही स्थान पर पदस्थापन के लिए स्थानान्तरण में कोई अनुतोष देय नही है।

राजकीय कार्मिकों के स्थानांतरण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पीबोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) प्रकरण में प्रतिपादित किया गया है कि दुर्भावना या विधिक अधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त जनहित या प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानांतरण आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी लोकसेवक को जो हस्तान्तरणीय पद पर कार्यरत है, एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है।उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

किसी भी लोकसेवक के स्थानांतरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में निर्णय का यह क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने अधीन लोकसेवक को कब, कहॉ और किस समय स्थानान्तरित करता है।इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त के प्रकरण में अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी लोकसेवक को सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता/विभागीय प्राथमिकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कही पर भी पदस्थापित किया जा सकता है।स्थानांतरण राज्य सेवा का एक अभिन्न अंग है और स्थानांतरण करना नियोक्ता का परमाधिकार है।अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिकअधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता है। उक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/स्थानान्तरण भूगोल व अन्य विषय/6505/22/अभ्या.
दिनांकः– 27.03.2023

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ)विभाग ....।
02. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा............................।
03. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
04. जि.शि.अ. (माध्य–विधि)जोधपुर...................................।
05. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
08. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर